

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी  
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

चंचल कुमार  
प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव  
स्थानिक आयुक्त,बिहार भवन,नई दिल्ली  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक:-17/03/2021

विषय:- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में।  
महाशय,


प्रशासनिक सुधारों तथा लोक सेवाओं की सुगम प्रदायगी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2011 को पूरे राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इससे नागरिकों को नियत समय सीमा में अधिसूचित लोक सेवाओं को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। सेवाओं को प्रदान करने की जवाबदेही और समयबद्धता इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं तथा सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने वाले अथवा इससे इंकार करने वाले लोक सेवकों पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान ने इसे और प्रभावकारी बनाया है। लोगों की सुविधा के लिए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों से लेकर सभी नाम-निर्दिष्ट लोक सेवक के कार्यालय में लोक सेवा केंद्र स्थापित किये गए हैं। ग्रामीण इलाकों में लोक सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए पंचायत सरकार भवनों में लोक सेवा काउंटर (सुविधा केंद्र) खोले गए हैं।

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के लागू किए जाने के व्यापक परिणाम सामने आए हैं। इसके अधीन अबतक लगभग 25.00 करोड़ सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। विभिन्न सेवाओं को निःशुल्क रूप में प्रदान करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है और आम नागरिकों को प्रदत्त यह अधिकार, व्यवस्था में सुधार एवं बदलाव का माध्यम बना है।

कई बार यह देखा जा रहा है कि सरकारी कामकाज में लोक सेवाओं का अधिकार के संबंध में उल्लेख करने अथवा चर्चा में लोक सेवाओं का अधिकार के स्थान पर आर.टी.पी.एस. का उपयोग किया जा रहा है, जो उपयुक्त नहीं है। इससे आम लोगों को प्रदत्त इस अधिकार की व्यापकता कम होती है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी कामकाज में "लोक सेवाओं का अधिकार" तथा इसके लिए स्थापित किए गए केन्द्रों के लिए "लोक सेवा केंद्र" का ही उपयोग करने की कृपा की जाए तथा सभी संबंधित को अपने स्तर से इससे अवगत भी करा दिया जाए।

विश्वासभाजन

  
(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक


ज्ञापांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/ RTPS-01/2011 (खण्ड) सो०-.....574 दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:- माननीय उप-मुख्यमंत्री / सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक

ज्ञापांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/ RTPS-01/2011 (खण्ड) सो०-.....574 दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव,बिहार/ विकास आयुक्त,बिहार/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक